कानून के अनुसार मध्याह्न भोजन न मिलने की स्थिति में शिकायत पत्र का एक प्रस्तावित नमूना/प्रारूप (Lockdown की स्थिति मे)

प्रेषक, दिनांक:-

नाम -

ग्राम - , पंचायत -

प्रखंड - , जिला

फ़ोन नंबर (यदि हो तो).....

सेवा मे,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी सह

अपर उपायुक्त /अपर समाहर्ता, _____जिला का नाम)

विषय :-_____विद्यालय_____ में माह मार्च एवं अप्रैल 2020 मे lockdown के समय घोषित मध्याह्न भोजन से संबन्धित चावल एवं रकम वितरण मे अनियमितता पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शिकायत |

महोदय,

हमारे गाँव के _____विद्यालय_____में lockdown के समय मार्च एवं अप्रैल 2020 सरकार की घोषणा अनुसार सिर्फ निम्न सामग्री हमारे बच्चों को दी गई है :

सामग्री /रकम (खाता मे ट्रान्सफर)	प्रावधान (मार्च माह का- 17 से 31 मार्च तक)	प्रावधान (अप्रैल माह का- 14 अप्रैल तक)	कुल (मात्रा/ राशि)		कुल मिला
<u>कक्षा 1 से 5 तक प्रति विद्यार्थी मिलने वाला प्रावधान</u>					
चावल	1200 ग्राम	800 ग्राम	2 किलोग्राम		
नगद बनाने की सामग्री का	53.76 रुपया	35.84 रुपया	89.60 रुपया	113.60	
अंडा/फल का रकम	12.00 रुपया	12.00 रुपया	24.00 रुपया		
<u>कक्षा 6 से 8 तक प्रति विद्यार्थी मिलने वाला प्रावधान</u>					
चावल	1800 ग्राम	1200 ग्राम	3.00 किलोग्राम		
नगद बनाने की सामग्री का	80.52 रुपया	53.68 रुपया	134.20 रुपया	158.20	
अंडा/फल का रकम	12.00 रुपया	12.00 रुपया	24.00 रुपया		

उपरोक्त विवरण अनुसार हमारे बच्चों को मध्याहन भोजन का अधिकार/ पूरा अधिकार नहीं मिला है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की धारा:- 5 -1(b) का उल्लंघन है| कानून के नियम:-2, उपबंध:-(ग) एवं नियम:-9 के अनुसार मध्याहन भोजन का प्रावधान न दिये जाने की स्थिति मे बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता 15 अप्रैल (मार्च माह के लिए)/ 15 मई (अप्रैल माह के लिए) तक मिल जाना चाहिए जो अब तक नहीं मिला है|

महोदय, निवेदन है कि कानून के उल्लंघन के आलोक में:- विद्यालय के उल्लिखित दिनों के प्रावधान को बच्चों को न दिये जाने के बदले खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता व मुआवजा दिया जाय अथवा कम खाद्यान्न एवं रकम देने एवं कानून का उल्लंघन करने के आरोप में दोषी पदाधिकारी को कानून सम्मत दंड दिया जाए |

संलग्न :- 1) कोई कागजात या फोटो इत्यादि - यदि हो तो |

प्रतिलिपि : अध्यक्ष राज्य खाद्य आयोग , रांची , झारखंड ।

हस्ताक्षर

आवेदक -

अभिभावक (अभिभावकों) का नाम एवं हस्ताक्षर)

1.
2.
3.